GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Information Technology & Communication

अति आवश्यक

क्रमांकः F5(737)/सु.प्रो./तक./2013/पार्ट–2/01028/2019 जयपुर, दिनांक 25.03.2019

समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर सहित)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त विभाग/निगम/बोर्ड/राजकीय उपक्रम/
स्वायत्तशासी संस्थान/शैक्षणिक संस्थान।

विषयः **माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या रीट पीटीशन (सी) 243/2005 में दिये गये निर्देशों की पालना हेतु विभागीय वेबसाईट्स/पोर्टलस/एप्लीकेशनस/सार्वजनिक दस्तावेजों को दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन की सुलभता के अनुरूप (accessible) बनाये जाने बाबत्।**

संदर्भः **DoIT&C का पूर्व पंत्राक एफ 5(737)/सु.प्रो./तक/2013/पार्ट–2/02359/2018 दिनांक 02.08.2018।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण संख्या रिट पीटीशन (सी) 243/2005, राजीव रतुडी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की पालना हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त निर्देशों के क्रम में समस्त सरकारी विभागों/निगमों/बोर्डस्/राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों इत्यादि को अपनी वेबसाईट्स/पोर्टलस/एप्लीकेशनस/सार्वजनिक दस्तावेजों को दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन व्यक्तियों की सुलभता के अनुरूप (accessible) किया जाना अपेक्षित है।

इस संबंध में पूर्व में प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त के उपरोक्त संदर्भित पत्रांक दिनांक 02.08.2018 के द्वारा उपरोक्त अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये थे (प्रति संलग्न है)।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों की तुरन्त पालना अपनी विभागीय वेबसाईट/पोर्टल पर अपने स्तर पर सुनिश्चित कर इस आशय का प्रमाण पत्र/पालना रिपोर्ट संलग्न प्रोफार्मा में दिनांक 28.03.2019 तक आवश्यक रूप से निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर इस विभाग को भी सूचित करें, अन्यथा इसके लिए संबंधित विभाग/नोडल अधिकारी (वेबसाईट)/(आईटी) स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(अम्बरीष कुमार)
आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN अति आवश्यक

Department of Information Technology & Communication

क्रमांकः F5(737)/सु.प्रो./तक/2013/पार्ट–2/1028/209 जयपुर, दिनांक 25.03.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विशिष्ट शासन सचिव।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, राज., सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इनफो सर्विसेज लिमिटेड (RISL), योजना भवन, जयपुर।
7. समस्त विभागीय नोडल अधिकरी, (आईटी)/(वेबसाईट) को पालनार्थ।
8. समस्त परियाजना प्रभारी अधिकारी, DoIT&C/RISL, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, RSDC/ Bhamashah Data Centre/ DR Site, DoIT&C, जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त अतिरिक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)/एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)/प्रोग्रामर।

(बी.एस. नाथावत)
तकनीकी निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव

Certificate/Compliance Report for Website Accessible to Person with Disabilities

The website of Department/Organization:_____

at URL: _____

has been examined and we have confirmed that the website and public documents has been Accessible to Person with Disabilities.

Signature of Nodal Officer (Website)/(IT)

Name:

Designation:

Contact No. (Office):

Mobile No.:

E-Mail (Nodal Officer):

E-Mail (Department):

Verified by:

Head of Department/Organization

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: F5(737)/सु.प्रो./तक./2013/पार्ट–2/02359/2018 जयपुर, दिनांक : 02/08/2018

समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर सहित)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त विभाग/निगम/बोर्ड/राजकीय उपक्रम/
स्वायत्तशासी संस्थान/शैक्षणिक संस्थान।

विषय: **माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या रीट पीटीशन (सी) 243/2005 में दिये गये निर्देशों की पालना हेतु विभागीय वेबसाईट्स/पोर्टलस/एप्लीकेशनस/सार्वजनिक दस्तावेजों को दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन की सुलभता के अनुरूप (fully accessible) बनाये जाने बाबत्।**

संदर्भ: 1. निदेशक, विशेष योग्यजन के पत्रांक : एफ16(1)/नि.वि.यो./2018/21633 दिनांक : 20.02.2018।
2. मुख्य सचिव के पंत्राक एफ5(849)/DoIT/Tech/2014/Part-I/।/28445/2015 दिनांक : 18.02.2015।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण संख्या रिट पीटीशन (सी) 243/2005, राजीव रतुडी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की पालना हेतु निर्देश प्रदान किये गये है (निदेशालय विशेष योग्यजन का पत्र मय न्यायालय आदेश संलग्न है)। उक्त निर्देशों के क्रम में समस्त सरकारी विभागों/निगमों/बोर्डस्/राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानो इत्यादि को अपनी वेबसाईट्स/पोर्टलस/एप्लीकेशनस/सार्वजनिक दस्तावेजों को दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन व्यक्तियों की सुलभता के अनुरूप (fully accessible) किया जाना अपेक्षित है।

इस संबंध में पूर्व में मुख्य सचिव के उपरोक्त संदर्भित पत्रांक दिनांक: 18.02.2015 के **बिन्दु संख्या–3** के अनुसार दिशा–निर्देशों (GIGW, WCAD, UAAG and W3C guidelines) की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये है (प्रति संलग्न है) ।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: F5(737)/सु.प्रो./तक./2013/पार्ट–2/02359/2018 जयपुर, दिनांक : 02/08/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विशिष्ट शासन सचिव ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, राज., सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL), योजना भवन, जयपुर।
6. समस्त विभागीय नोडल अधिकारी, (आईटी)/ (वेबसाईट)।
7. समस्त परियोजना प्रभारी अधिकारी, DoIT&C/RISL, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, RSDC/Bhamashah Data Centre/DR Site, DoIT&C, जयपुर/जोधपुर ।
9. समस्त अतिरिक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)/एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)/प्रोग्रामर।

(आशुतोष एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

U.O. Note

Subject : **Regarding development of websites, portals and applications.**

In accordance with the decision taken, Department of Information Technology & Communication has initiated Rajasthan Government Web Restructuring Plan, envisaging international standard, web aesthetics, technologically up to date websites & portals and unification & centralization of information available on websites and portals.

Therefore, the following activities are expected from all Government Departments/PSUs/Corporations/Boards/Organizations:-

1. All websites/portals/applications must be on **rajasthan.gov.in** domain only.
2. All websites/portal/applications relating to a Government Department/ PSU/Corporation/Board/Organization must be integrated together as one umbrella portal of administrative department.
3. All websites/portals/applications must be compliant to GIGW, WCAG, UAAG and W3C guidelines and must be compatible on all devices.
4. The websites/portals/applications must be hosted at RSDC with shared Administrator rights with Department of Information Technology and Communication (DoIT&C).

All the officers may ensure that immediate action in this regard is taken by Departments/PSUs/Corporations/Boards/Organizations under their administrative control. Further, any recently developed websites / portals / applications, may be reviewed in this light and changed as required. Department of IT&C can be contacted for any further clarification and support.

(C.S. Rajan)
Chief Secretary

All Additional Chief Secretaries,
All Principal Secretaries,
All Secretaries,
Government of Rajasthan

U.O. Note No. : F5(849)/DoIT/Tech/2014/Part-1/ I/28445/2015
Jaipur, Dated : 18 February, 2015.

IT Building, Yojana Bhawan Campus, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Ph: 0141-2224855, Fax : 0141-2222011
Website: http://www.doitc.rajasthan.gov.in